अनुदान संख्या 51 – मंत्रिमंडल
GRANT No. 51–CABINET

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
प्रभारित-	*Charged–*		*10,00*	*2,04*	*–7,96*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*7,88*
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	205,27,00	282,23,00	260,10,88	–22,12,12
पूरक	Supplementary	76,96,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				12,58,15
पूंजीगत:	**Capital:**				
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	33,36,00	33,62,00	17,02,12	–16,59,88
पूरक	Supplementary	26,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				13,02,66

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (2212.12 लाख रु.) नवंबर, 2007 और मार्च, 2008 में प्राप्त किए गए 7696.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 29 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 8 प्रतिशत थीं।

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.2212.12 lakhs) constituted 29 percent of the supplementary grants of Rs.7696.00 lakhs obtained in November, 2007 and March, 2008 and 8 percent of the total sanctioned provision.

Savings occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष ''2013''	Major Head "2013"				
मंत्रिपरिषद	Council of Ministers				
मू.	O.	12302.00			
पू.	S.	7400.00	18968.19	18159.40	–808.79
पु.	R.	–733.81			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष ''2055'' पुलिस	Major Head "2055" Police				
मू.	O.	8047.00			
पू.	S.	296.00	7818.66	7672.48	–146.18
पु.	R.	–524.34			

(I) मुख्य शीर्ष ''2055'' - ''विशेष सुरक्षा समूह - स्थापना'' के अंतर्गत 8047.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 296.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 8343.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 670.52 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) हथियारों एवं गोला-बारूद की खरीद के प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने और माध्यस्थम अधिनिर्णय के कारण हुई।

(I) Under Major Head - "2055" - "Special Protection Group - Establishment" - the original provision of Rs.8047.00 lakhs was augmented to Rs.8343.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.296.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.670.52 lakhs (including supplementary grant) - due to non-finalisation of the proposals for purchase of arms and ammunition and arbitration awards.

(II) मुख्य शीर्ष ''2013'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः-

(का) ''मंत्रिमंडल सचिवालय'' -

(क) ''सचिवालय (मुख्य+वेतन एवं लेखा कार्यालय)'' - 106.69 लाख रु. की बचत (1099.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के भरे न जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(ख) ''राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय'' - 229.29 लाख रु. की बचत (929.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना मे) रिक्त पदों के भरे न जाने, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्यों द्वारा कम दौरे किए जाने और विदेश मंत्राालय से दावे प्राप्त न होने के कारण हुई।

(घा) ''दौरा व्यय - राज्य मंत्री'' - 1101.89 लाख रु. की बचत (2600.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य मंत्रियों द्वारा कम दौरे किए जाने के

(II) Under Major Head - "2013" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Cabinet Secretariat" -

(a) "Secretariat (Main+PAO)" - saving of Rs.106.69 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1099.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and economy measures.

(b) "National Security Council Secretariat" - saving of Rs.229.29 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.929.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, less tours undertaken by the members of the National Security Advisory Board and non-receipt of claims from Ministry of External Affairs.

(B) "Tour Expenses - State Ministers" - saving of Rs.1101.89 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2600.00 lakhs) was due to less tours undertaken by the State Ministers.

कारण हुई।

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत 89.32 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 64 प्रतिशत थी।

2. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (1659.88 लाख रु.) मार्च, 2008 में प्राप्त किए गए 26.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 49 प्रतिशत थीं।

(III) Under one head saving of Rs.89.32 lakhs occurred constituting 64 percent of the sanctioned provision.

2. In the capital section of the grant, the overall savings (Rs.1659.88 lakhs) exceeded the supplementary grant of Rs.26.00 lakhs obtained in March, 2008 and constituted 49 percent of the total sanctioned provision.

Savings occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष ''4055'' पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4055" Capital Outlay on Police				
मू.	O.	3316.00			
पू.	S.	26.00	2044.34	1696.87	–347.47
पु.	R.	–1297.66			

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:-

(I) 50.00 लाख रु. का प्रावधान एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) ''विशेष सुरक्षा समूह - कार्यालय भवन'' के अंतर्गत 355.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 26.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 381.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 287.49 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य का निष्पादन न किए जाने के कारण हुई।

(III) ''विशेष सुरक्षा समूह - सामान्य'' के अंतर्गत 1307.64 लाख रु. की बचत (2911.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वाहन स्कैनर, गामा किरण विनिषिद्ध संसूचक और बम निपटान उपस्करों की खरीद के लिए पूर्ति एवं निपटान महानिदेशक द्वारा दर संविदा को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(I) Provision of Rs.50.00 lakhs remained wholly unutilised under one head.

(II) Under "Special Protection Group - Office Buildings" - the original provision of Rs.355.00 lakhs was augmented to Rs.381.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.26.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.287.49 lakhs (including supplementary grant) - due to non-execution of work by Central Public Works Department.

(III) Under "Special Protection Group - General" - saving of Rs.1307.64 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2911.00 lakhs) was due to non-finalisation of Director General of Supplies and Disposals rate contract for purchase of vehicle scanner, gamma ray contraband detector and bomb disposal equipments.